न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 37/2016 निगरानी

उनवान

श्री पुरूषोत्तम पिता अरूण कुमार त्रिपाठी, नि0 गुरलां, तह0 भीलवाड़ा।	ब ना म	1. श्रीमति माया पत्नि रतन लाल शर्मा, नि0 गुरला, तह0 भीलवाड़ा 2. ग्राम पंचायत गुरलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गुरलां, तह0 भीलवाड़ा
––निगराकार		––गैर–निगराकारान

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पत्रावली संख्या 38 सम्वत् 2041 पट्टा संख्या 12/85–86 ग्राम पंचायत, गुरलां निर्णय दिनांक 16.11.85 को निरस्त करने बाबत

उपस्थितः–श्री हरदयाल वर्मा , अधि0, निगराकार की ओर से।
श्री गणेशलाल जोशी, अधि0 गैर–निगराकार संख्या 1 की ओर से।
गैर–निगराकार संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 28.03.2017

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी इस प्रकार है कि निगराकार ने पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत गैर–निगराकारान के विरूद्ध दिनांक 06/06/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत, गुरलां के तत्कालीन सरपंच ने पत्रावली संख्या 38 सम्वत् 2041 पट्टा संख्या 12/85–86 दिनांक 16.11.85 कभी जारी ही नहीं किया , कूटरचित पट्टा तैयार किया है जो खारीज होने योग्य है। उक्त पट्टे के अनुसार पड़ौस निम्न अंकित किये हैं–
पूर्व–बालीदेवी गुर्जर का प्लॉट, पश्चिम–सरकारी भूमि, उत्तर–जानकी लाल चेचाणी का प्लॉट, दक्षिण– आम रास्ता। इन पड़ौसों के मध्य गेर निगराकार को 1350 वर्गफुट भूखण्ड का पट्टा जारी करना बता रखा है जबकि इन पड़ौसों के मध्य कोई भूखण्ड गैर निगराकार का है ही नहीं । पूर्व का पड़ौस बालीदेवी गुर्जर का बता रखा है जबकि बालीदेवी का कोई भूखण्ड सयहां पर अस्तित्व में ही नहीं है फर्जी पट्टा बनाया गया है जो काबिल खारिजगी के है। उक्त पट्टा 200/–रूपये लेकर बापी पट्टा दिया जाना वर्णित किया है जबकि इसी पट्टे में नीचे 450/– रूपये रोकड़ जमा होना अंकित किया गया है, किस तथ्य पर विश्वास किया जावे, 200/– रूपये लेकर पुराने पट्टों का पट्टा दिया है या बाजार दर पर पट्टा दिया है। रूपये कब जमा हुए स्पष्ट नहीं है इसलिए यह पट्टा प्रथम दृष्टयाफजी होने से खारीज होने योग्य है। वर्णित पड़ौसों के मध्य कभी भी गैरनिगराकार संख्या 1 को गैरनिगराकार संख्या 2 ने पट्टा जारी नहीं किया, न ही तत्कालीन सरपंच सुरेश बोहरा के उक्त पट्टे पर हस्ताक्षर है, न ही तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत गुरला के हस्ताक्षर है,

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

खाली पट्टा छपा–छपाया मिल जाने पर गैर निगराकार ने षड़यन्त्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज सरपंच व सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करके तैयार किया गया, कूटरचित दस्तावेज है जिसकी जानकारी होते हुए पुलिस थाना में अलग से कार्यवाही की जा रही है, लेकिन चूंकि पट्टा विपक्षी के पास है जिसका दुरूपयोग भविष्य में कभी भी कर सकता है जिसके सम्बन्ध में निरस्त का दाखिला लगाये जाने हेतु यह निगरानी पेश की जा रही है। दिनांक 16.03.2016 को गैर निगराकार एवं एक अन्य बालीदेवी के साथ उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर मौके पर आयी तथा मौके पर कब्जा करने की कोशिश की तो उक्त गैरनिगराकार के खिलाफ पुलिस थाने में कार्यवाही की गयी जहां पर उक्त पट्टा की फोटोप्रति पेश की तथा एलानिया धमकी दी कि मेरे पास तो यह पट्टा है तथा मैं उक्त भूखण्ड पर कब्जा करके ही दम लूंगी, पट्टा सन् 1985 का जारी होना बताया है जबकि लगभग 30 वर्ष बाद कब्जा करने आयी अगर वैध पट्टा होता तो कभी भी कब्जा कर सकती थी इस तरह से भी यह पट्टा स्वयं अपने आप में फर्जी साबित हो जाता है तथा निरस्तनीय है। निगराकार ने अपना पट्टा व गैर निगराकार द्वारा थाने में पेश फोटो प्रति को लेकर तत्कालीन सरपंच सुरेश बोहरा के पास गया तो तत्कालीन सरपंच सुरेश बोहरा ने बताया कि उक्त पट्टा उसके द्वारा कभी जारी नहीं किया गया, न ही इस पट्टे पर उसके हस्ताक्षर है, मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी दस्तावेज तैयार किया है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त पट्टे बाबत ग्राम पंचायत गुरलां से रेकॉर्ड मांगा गया लेकिन पंचायत में इस तरह का कोई रेकॉर्ड पत्रावली पर नहीं है इस कारण भी उक्त पट्टा काबिले निरस्तनीय है। पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत गुंरला ने पंचायत अधिनियम 1996 के नियम 140 से 158 की कोई पालना नहीं की गयी, बिना किसी नियम की पालना किये गैर निगराकार ने अन्य बालीदेवी से मिलकर फर्जी पट्टा बनाया गया जो काबिल निरस्तनीय है। निगराकार ने ग्राम पंचायत से उक्त पट्टे के सम्बन्ध में पत्रावली की नकलें प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पंचायत ने यह लिखकर दिया कि सन् 1999 में रेकॉर्ड चोरी हो जाने से नकलें देना संभव नहीं है, इसलिए निगराकार इस फोटोप्रति पर जो कि थाने पर गैरनिगराकार ने दी थी के आधार पर यह निगरानी पेश कर रहा है।ग्राम पंचायत से उक्त पत्रावली तलब की जावे अगर रेकॉर्ड नहीं है तो गैरनिगराकार से उक्त फर्जी पट्टा मंगवाया जाकर पत्रावली पर उसे लेते हुए उसे निरस्त किया जावे। दिनांक 16.03.2016 को उक्त फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भूखण्ड पर कब्जा करने गैरनिगराकार संख्या 1 आयी तथा पुलिस कार्यवाही की गयी तब से उक्त सन् 1985 के फर्जी पट्टे की जानकारी निगराकार को हुई बिना देरी के यह निगरानी पेश है। पट्टा दिनांक 16.11.1985 से जानकारी दिनांक 16.03.2016 तक के समय को कण्डोन कराये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी, निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर गैरनिगराकार संख्या 1 को पत्रावली संख्या 38 दिनांक 16.11.1985 से जारी पट्टा संख्या 12/85–86 फर्जी होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 09.09.2016 को पंजीबद्ध की जाकर गैर–निगराकारान को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत से भू–खण्ड विक्रय संबंधी रेकार्ड तलब किया गया।

गैर–निगराकार संख्या 1 की ओर से दिनांक 23.03.18.10.2016 को जवाब प्रस्तुत करते हुये यह अनुरोध किया गया कि निगरानी की कलम संख्या 1 असत्य होकर गलत है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गुरलां ने विधिवत प्रक्रिया अपनायी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जाकर मुझ गेर निगराकार को मौका निरीक्षण कर पट्टा जारी किया है तथा मेरे पट्टे पर पश्चातवर्ती कूटरचित पट्टा निगराकार ने भी श्री सुरेश बोहरा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गुरलां से षड़यंत्र रचकर जबरन कब्जा करने की नियत से पट्टा प्राप्त किया है। जवाबदाता का पट्टा संख्या 12/85–86 दिनांक 16.11.85 का सही होकर विधिवत प्रमाणित शुदा जारी पट्टा है जो खारीज योग्य नहीं है। निगराकार ने कलम संख्या 2 में झूंठे कथन अंकित किये हैं जो स्वीकार नहीं। मुझ जवाबदाता गैर निगराकार संख्या 1 ने ग्राम पंचायत गुरलां में राशि 450/– रूपये जमा करायी है जिसकी रसीद सं0 95 बुक सं0 5 दिनांक 16.11.85 को ग्राम पंचायत की केश बुक में जमा हुआ है। सचिव की लिपिकीय भूल से पट्टे में 200/–रूपये अंकित कर दिये हैं जिसके लिए जवाबदाता दोषी नहीं है। निगराकार ने जवाबदाता को पुलिस की धमकियां देकर डराने का प्रयास करके मेरे भूखण्ड पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वास्तविकता यह है कि श्री सुरेश बोहरा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गुरलां के द्वारा गुरलां में कई पट्टों पर दुबारा पट्टे जारी करके अवैध राशियां बटोरी गयी है तथा जानबूझकर भिन्न–भिन्न प्रकार के पूर्ववर्ती पट्टों पर हस्ताक्षर करके लोगों को भ्रमित किया जाता रहा है कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है। पश्चातवर्ती पट्टे फर्जी कूटरचित तैयार करके उस पर हस्ताक्षर करके नये पट्टे जारी किए हैं साक्ष्य के रूप में पट्टों की फोटो स्टेट प्रतियां प्रस्तुत है। जिससे स्पष्ट होगा कि मेरे पट्टे पर श्री सुरेश बोहरा सरपंच ग्राम पंचायत गुलां के पूर्ववर्ती पट्टे पर हस्ताक्षर सही है तथा निगराकार के पट्टे पर जो कि पश्चातवर्ती है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गुरलां के श्री सुरेश बोहरा के हस्ताक्षरों के मिलान के सम्बन्ध में रोकड़ पंजिकाओं, अनापत्ति प्रमाण–पत्रों, ग्रामसभा की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24.4.2011, 5.7.2011, 5.8.2011, 27.8.2011, 28.8.2011 निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नाम निर्देशन प्रपत्र–4 की प्रति व इसी तरह तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गुरलां श्री सुरेश बोहरा ने अन्य व्यक्तियों को भी पट्टे जारी किये हैं जिन प श्री बोहरा ने हस्ताक्षर किये उसी अनुरूप प्रार्थीया गैर निगराकार के पट्टे पर जो हस्ताक्षर किये हैं उनसे प्रमाणित है। पट्टाधारी ओमप्रकाश पिता लादूलाल व्यास को जारी पट्टा संख्या 44/84–85 दिनांक 25.3.1985 से भूखण्ड संख्या बी–43 जारी किया। इसके बावजूद भी सुरेश बोहरा ने दुबारा पट्टा पश्चातवर्ती पट्टा बी–43 का पट्टाधारी अशोक कुमार धोबी को जारी कर उनका पंजीयन करा दिया जिससे स्पष्ट है कि श्री सुरेश बोहरा पश्चातवर्ती पट्टा जारी करने में माहिर है। माननीय न्यायालय से विशेष निवेदन है कि श्री सुरेश बोहरा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गुरलां के कार्यकाल में जारी पट्टों की जांच कराई जावे। अतः प्रार्थना है कि निगराकार पुरूषोत्तम त्रिपाठी को जारी भूखण्ड पट्टा 1350 वर्गफुट जो कि पश्चातवर्ती पट्टा निःशुल्क दिनांक 13.8.1998 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति , कारीगरों व लघु समान कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क भूखण्ड का आवंटन किया गया है। जिसमें निगराकार ी पुरूषोत्तम त्रिपठी किसी भी योजना में प्राप्त नहीं है। अतः निगराकार का पट्टा तथा मुझ जवाबदाता के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी खारीज फरमायी जावे।

निगरानी प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण को बहस हेतु रखा गया। दिनांक 27.3.2017 को दोनो पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुये यह अनुरोध किया गया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत के द्वारा कितनी राशि जमा की, पट्टा जारी किया जो सही है या गलत इसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गुलां के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1999 से पूर्व का रिकॉर्ड चोरी होने की रिपोर्ट

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम पंचायत गुरलां के द्वारा प्रस्तुत की है। गैर निगराकार के द्वारा पट्टा शुल्क की राशि 450/– रूपये जमा कराये हैं या 200/– रूपये स्पष्ट नहीं है। गैर निगराकार के नाम जारी पट्टा गलत होकर मौके पर कोई कब्जा भी नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार फरमा पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

निगराकार अधिवक्ता की बहस के खण्डन में गैर–निगराकार संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस अपने प्रतिकथन को दोहराते हुये यह अनुरोध किया गया कि मुझ गैर निगराकार संख्या 1 को ग्राम पंचायत गुरलां के द्वारा वर्ष 1985 में 1350 वर्गफुट भूखण्ड का पट्टा जारी किया जो विधिवत होकर सही है। पट्टे में तत्कालीन सरपंच श्री सुरेश बोहरा के हस्ताक्षर है वह असल है इसकी पुष्टि में मैंने ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच श्री सुरेश बोहरा के हस्ताक्षरों की सत्यता के लिए ग्राम पंचायत गुरलां से सम्बन्धित अनेकों दस्तावेज यथा बैठक कार्यवाही विवरणी, नाम निर्देशन पत्र की प्रति व अन्य दस्तावेज प्रमाण में प्रस्तुत किए हैं। मूल पट्टा भी मुझ गैर निगराकार के द्वारा प्रस्तुत कर दिया है। निगराकार के द्वारा पश्चातवर्ती पट्टा गलत तरीके से प्राप्त कर भूखण्ड हड़पना चाहता है। अतः निवेदन है कि निगरानी खारीज फरमाई जावे व मुझ गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 12/85–86 दिनांक 16.11.85 को यथावत रखाना फरमावें।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन करने से गैर–निगराकार संख्या 1 के पक्ष में तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गुरला के द्वारा ग्राम पंचायत गुरलां की पत्रावली संख्या 38 सम्वत् 2041 दिनांक 28.7.1984 को पत्रावली कायम की जाकर पूर्व में बालीदेवी पत्नि मोहन गुर्जर, पश्चिम में सरकारी भूमि, उत्तर में जानकीलाल चेचाणी का प्लॉट तथा दक्षिण में आम रास्ता कालका माता जाने का उक्त पड़ौसों के बीच स्थित भूखण्ड 45 गुणा 30 कुल 1350 वर्गफुट का पट्टा संख्या 12/85–86 दिनांक 16.11.1985 को तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गुरलां श्री सुरेश बोहरा के हस्ताक्षर से जारी है तथा पट्टे में राशि 200/– रूपये भेंट लिया जाना अंकित है वहीं पट्टे के नीचे 450/– रूपये रसीद संख्या 95 बु0नं0 5 दिनांक 16.11.85 अंकित है जो विरोधाभाषी है। उक्त 450/– रूपये रोकड़ बही के किस पृष्ठ पर जमा किए कोई अंकन नहीं है। जब ग्राम पंचायत गुरलां से उक्त पट्टे के सम्बन्ध में सूचना चाही तो सचिव ग्राम पंचायत गुरलां ने पत्र दिनांक 16.05.2016 से यह लिख कर दिया कि 1999 से पूर्व का रिकॉर्ड चोरी होने से चार्ज में नहीं मिलने से सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। गैर निगराकार स्वयं ने दस्तावेज प्रस्तुत किए उनमें पट्टा संख्या 25 सम्वत् 2041 दिनांक 25.12.84, पट्टा संख्या 10/85–86 दिनांक 24.10.85 की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जिनमें पट्टा राशि दोनों स्थानों पर अर्थात भेंट की राशि व रोकड़ पंजिका में जमा राशि समान ही है फिर गैर निगराकार के पट्टे में भेंट राशि 200/–रूपये तथा रोकड़ पंजिका में 450/–रूपये जमा करना स्वतः ही सन्देहास्पद स्थिति प्रकट करता है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट होता है कि जब ग्राम पंचायत गुरलां के द्वारा जो कि स्वयं भी निगरानी में पक्षकार है निगरानी के खण्डन में किसी प्रकार का अभिलिखित कथन या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए न ही अपनी ओर से पक्ष रखने के लिए किसी अभिभाषक को ही उपस्थित रखा। यहां पर ग्राम पंचायत गुरलां के द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की सत्यता को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिसे न तो गैर निगराकार एवं न ही ग्राम पंचायत के द्वारा साक्ष्य में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत कर सिद्ध कराने में असफल रहे हैं। पट्टेशुदा भूखण्ड किस स्थल

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पर है तथा मौके पर गैर निगराकार का कब्जा है या नहीं इसकी पुष्टि में भी कोई दस्तावेज अर्थात मौके का नजरी नक्शा अथवा मौके के पड़ौसियों के शपथ–पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं। ग्राम पंचायत गुरलां के द्वारा अपनी पत्रावली संख्या 38 सम्वत् 2041 पट्टा संख्या 12/85–86 को जारी किए जाने में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के नियम 142 से 152 में दिए गए प्रावधानों का कोई अनुसरण नहीं कर पट्टा जारी किया है। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 1 अपने पट्टे को सिद्ध कराने में असफल रहा है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर–निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी किया पट्टा संख्या 12/85–86 दिनांक 16.11.1985 निरस्त योग्य ठहराया जाता है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत, गुरला, पं.स. सुवाणा के द्वारा जारी पट्टा संख्या 12/85–86 दिनांक 16.11.1985 के क्रम में स्वीकार की जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत गुरलां द्वारा अन्दर हल्का आबादी में पूर्व में बालीदेवी गुर्जर पत्नि मोहन गुर्जर, पश्चिम में सरकारी भूमि, उत्तर में जानकीलाल चेचाणी का प्लॉट व दक्षिण में आम रास्ता कालका माता जाने का उक्त पड़ौसों के मध्य स्थित 45फीट गुणा 30 फीट कुल 1350 वर्गफीट भूखण्ड का उनकी पत्रावली संख्या 38 सम्वत् 2041 से जारी पट्टा संख्या 12/85–86 दिनांक 16.11.1985 से श्रीमती माया देवी पत्नि रतनलाल शर्मा निवासी गुरला के पक्ष में जारी को अपास्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति विकास अधिकारी, पं.स. सुवाणा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

(महावीर प्रसाद शर्मा) 28/3
जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा